दिनांक–26 अक्टूबर, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अन्तर्गत अनु० जाति और अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम 2011 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन सहायक अनुदान (Grant-in-aid) के रूप में राज्यांश मद में ₹ 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) एवं केन्द्रांश मद में ₹ 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) अर्थात् कुल ₹ 5,00,00,000 (पाँच करोड़) मात्र स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. कृषि प्रसार में मास मिडिया तथा आईसीटी के उपयोग के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2012–13 में 499.00 लाख रूपये (चार करोड़ निनानवे लाख रूपये) अनुदान की स्वीकृति। — 2. **स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

3. सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार उत्पाद सेवा के उपायुक्त, उत्पाद वेतनमान पी०बी०–3–15,600–39,100+ग्रेड पे–7,600 से संयुक्त आयुक्त, उत्पाद वेतनमान पी०बी०–4–37,400–67,000+ग्रेड पे–8,700 में प्रोन्नति की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

4. राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–I से X तक अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिए विद्यालीय छात्रवृत्ति एवं प्रावैधिकी छात्रवृत्ति की दरों में दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से वृद्धि, वर्ष 2012–13 में छात्रवृत्ति का भुगतान 75% उपस्थिति के आधार पर पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को आर्थिक मापदण्ड के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृति करने तथा शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अनुरूप छात्रवृत्ति का वितरण करने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वर्ष 2012–13 में राज्य योजना से रू० 580.85 करोड़ (रू० पाँच सौ अस्सी करोड़ पचासी लाख) की स्वीकृति एवं व्यय का प्रस्ताव है। — 4. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 35,00,00,000/–(पैंतीस करोड़) रूपए मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. औषधि नियंत्रण प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी के 43, एवं सचिव–सह–उप औषधि नियंत्रक के एक पद का प्रत्यर्पण एवं सहायक औषधि नियंत्रक के 46 एवं उप औषधि नियंत्रक के 11 पदों का सृजन। — 6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. डा० शैलेन्द्र शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव। — 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाए पेंशनादि एवं सेवा निवृत्ति लाभ तथा सेवारत कर्मियों के बकाए वेतनादि भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि ₹ 300,00,00,000/– (तीन सौ करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. शैक्षिक सत्र 2012–13 में सैनिक स्कूल, नालन्दा में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 1,16,81,250/–(एक करोड़ सोलह लाख एक्कासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) एवं पोषाहार मद में ₹ 62,28,335/–(बासठ लाख अठाईस हजार तीन सौ पैंतीस रूपये मात्र) अर्थात कुल ₹ 1,79,09,585/–(एक करोड़ उनासी लाख नौ हजार पाँच सौ पचासी रूपये मात्र) तथा अध्ययनरत छात्रों के लिए स्थापना मद में ₹ 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल ₹ 3,29,09,585/–(तीन करोड़ उनतीस लाख नौ हजार पाँच सौ पचासी रूपये मात्र) और शैक्षिक सत्र 2012–13 में सैनिक स्कूल, गोपालगंज में शैक्षिक सत्र 2012–13 में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 1,19,78,750/–(एक करोड़ उन्नीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) एवं पोषाहार मद में ₹ 53,02,330/–(तिरेपन लाख दो हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र) अर्थात कुल ₹ 1,72,81,080/–(एक करोड़ बहतर लाख एकासी हजार अस्सी रूपये मात्र) और अध्ययनरत छात्रों के लिए स्थापना मद में ₹ 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल राशि ₹ 3,22,81,080/–(तीन करोड़ बाईस लाख एकासी हजार अस्सी रूपये मात्र) अर्थात कुल संयुक्त राशि ₹ 6,51,90,665/–(छह करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार छह सौ पैंसठ रूपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शहरी निकाय नगर परिषद् में नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹ 41,78,000 (इकतालीस लाख अठहत्तर हजार) रूपये मात्र विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा)

11. शैक्षणिक सत्र 2011–12 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि की 24256 (चौबीस हजार दो सौ छप्पन) एवं पिछड़ा वर्ग (BC-II) की 30489 (तीस हजार चार सौ नब्बासी) कुल 54745 (चौवन हजार सात सौ पैंतालिस) तथा पूर्ववर्ती वर्षों के वंचित छात्राओं सामान्य कोटि की 2386 (दो हजार तीन सौ छियासी) एवं पिछड़ा (BC-II) की 2512 (दो हजार पाँच सौ बारह) अर्थात् कुल –59643 (उन्नसठ हजार छः सौ तेतालिस) छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रति छात्रा ₹ 10,000/–(दस हजार) की दर से कुल राशि ₹ 59,64,30,000/– (उन्नसठ करोड़ चौसठ लाख तीस हजार) के व्यय की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

12. पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तम–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 172वें सत्र (शीतकालीन सत्र) का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

13. विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठित नई पांच कम्पनियों में बोर्ड के आस्तियों, दायित्वों एवं मानव संसाधन के हस्तांतरण से संबंधित ट्रान्सफर स्कीम एवं वित्तीय पुनर्सरचना योजना की स्वीकृति के संबंध में।

13. ट्रांस्फर स्कीम (अनुलग्नक क) तथा कंडिका 14 की उपकंडिका (i), (ii), (iii) एवं (iv) स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

14. वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुकों एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल वितरण हेतु 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. गया जिलान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु अंचल–टिकारी मौजा–तेतरिया थाना नं०–173, खाता नं०–117, खेसरा सं०–181 रकबा– 0.72 एकड़ अ०वि०स० खाता नं०–118 खेसरा नं०–185 रकबा– 2. 35 एकड़ अ०स०सा० पुरानी परती खाता नं०–117 खेसरा नं०–167, 53, 159 रकबा–0.42, 1.40, 0.11 अ०वि०स० पुरानी परती क्रमशः कुल रकबा–5.00 एकड़ भूमि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. पटना जिला के पटना सदर अंचल अन्तर्गत मौजा–लोहानीपुर, थाना संख्या–06 के खाता संख्या–169, खेसरा संख्या–264 की कुल 0.25 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. जहानाबाद जिलान्तर्गत पर्यवेक्षण गृह/बाल सुधार गृह के निर्माण हेतु अंचल जहानाबाद मौजा–बभना कटैया थाना नं०–387 खाता नं०–101 खेसरा नं०–574 रकबा–1.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**